



12th AUGUST, 2017 THE TIMES OF INDIA

Government of India Ministry of Minority Affairs



Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship Schemes 2017-18



Applications are invited from the students belonging to six minority communities notified by the Government of India for availing Scholarships under three scholarship schemes viz. Pre-Matric, Post-Matric and Merit-cum-Means based Scholarship Schemes for the year 2017-18.

Timeline activities as under :

| Activities | Date |
|--|--|
| Submission of Online applications for <u>Fresh</u> (first time applicant) scholarship by students | 1 st June to 31 st August, 2017 |
| Submission of Online applications for <u>Renewal</u> (applicant who have got scholarship during 2016-17) scholarship by students | 1 st June to 31 st August, 2017 |

Eligibility

- The applicant should belong to any one from the notified minority communities viz. Muslims, Christians, Sikhs, Buddhists, Zoroastrians (Parsis) and Jains.
- Pursuing studies in India in Government or Private Universities/Institutes/colleges/schools.
- The course being pursued is of one or more years.
- The applicant should have secured 50% marks in the last annual Board/Class examination.

INSTRUCTIONS


For applicants

- Applicants are advised to apply online against any one of the scholarship schemes on the Website of National Scholarship Portal at- www.scholarships.gov.in (a link to the site is also available at- www.minorityaffairs.gov.in).
- Detailed 'Instructions' for filling in online application and 'Frequently Asked Questions (FAQs)' are available on the National Scholarship Portal homepage.
- Applicant is advised to give only that bank account details which remains in active mode or compliant as per bank's instructions so that payment of scholarship does not fail.

For Universities/Institutes/colleges/schools

- All Universities/Institutes/colleges/schools, where a minority student is studying, should get themselves registered (if not done earlier) on National Scholarship Portal by October, 2017.

For detailed information, visit the website of Ministry of Minority Affairs i.e. www.minorityaffairs.gov.in





भारत सरकार

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय



मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाएं 2017-18



वर्ष 2017-18 के लिए तीन छात्रवृत्ति योजनाओं अर्थात् मैट्रिक-पूर्व, मैट्रिकोत्तर और मेरिट-सह-साधन आधारित छात्रवृत्ति योजनाओं के अन्तर्गत छात्रवृत्तियों का लाभ लेने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित 06 अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।

इन क्रियाकलापों की समय-सीमा निम्नानुसार है।

| क्रियाकलाप | तारीख |
|--|-----------------------------|
| छात्रों द्वारा नई छात्रवृत्ति (पहली बार आवेदक) के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करना | 01 जून से 31 अगस्त, 2017 |
| छात्रों द्वारा नवीकरण (वह आवेदक जिसने 2016-17 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त की है) छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन-आवेदन प्रस्तुत करना। | 01 जून से 31 अगस्त, 2017 |

पात्रता

- आवेदक अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों अर्थात् मुस्लिम, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध, पारसी और जैन में से किसी एक से संबंधित होना चाहिए।
- वह भारत में सरकारी या निजी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों में अध्ययन कर रहा हो।
- अध्ययन किया जा रहा पाठ्यक्रम एक वर्ष या उससे अधिक अवधि का हो।
- आवेदक ने पिछले वार्षिक बोर्ड/कक्षा की परीक्षा में 50% अंक प्राप्त किए हों।

निर्देश

आवेदकों के लिए

- आवेदकों को परामर्श दिया जाता है कि वे राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल वेबसाइट यथा www.scholarships.gov.in (इस साइट का लिंक www.minorityaffairs.gov.in पर भी उपलब्ध है) पर छात्रवृत्ति योजनाओं में से किसी एक के लिए ऑनलाइन आवेदन करें।
- ऑनलाइन आवेदन भरने के लिए विस्तृत 'निर्देश' और 'बार-बार पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू)' राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल के होम पेज पर उपलब्ध हैं।
- आवेदक को परामर्श दिया जाता है कि केवल वही बैंक खाता विवरण दें जो सक्रिय मोड में है या बैंक के निर्देशों के अनुसार हो ताकि छात्रवृत्ति का भुगतान विफल न हो।

विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों के लिए

- सभी विश्वविद्यालयों/संस्थानों/महाविद्यालयों/विद्यालयों, जहां कोई अल्पसंख्यक छात्र पढ़ रहा है, को अक्टूबर, 2017 तक राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर स्वयं को पंजीकृत करवाना चाहिए (यदि उन्होंने ऐसा पहले नहीं किया है)।

विस्तृत जानकारी के लिए अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की वेबसाइट www.minorityaffairs.gov.in पर जाएं।

dep 27/01/13/0018/1718

12 अगस्त, 2017 दैनिक जागरण